(राजस्थान–सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारॉ (राज.)

पीठासीन अधिकारी सत्यनारायण आमेटा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 44 / 2022

बउनवान

राज0 सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ

(प्रार्थी)

बनाम

1. श्री मनीष कुमार तिवारी पुत्र श्री चंद्र प्रकाश तिवारी जाति ब्राह्मण निवासी छोटा बाजार, सांवरिया जी मन्दिर के पास, मांगरोल, जिला बारां(विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स शर्मा रेस्टोरेंट, पुलिस थाने के सामने, बारां रोड, मांगरोल जिला बारां
2. मैसर्स शर्मा रेस्टोरेंट, पुलिस थाने के सामने, बारां रोड, मांगरोल जिला बारां

(अप्रार्थी)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (।।) / 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :– 1– श्री नीरज कुमार नागर खा.सु.अ. (प्रार्थी)
2– स्वयं उपस्थित (अप्रार्थी)

निर्णय दिनांक 04.09.2023

प्रकरण राजस्थान सरकार जर्ये श्री गोविन्द सहाय गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2022 को मैसर्स शर्मा रेस्टोरेंट, पुलिस थाने के सामने, बारां रोड, मांगरोल जिला बारां पर पहुंचा। वहॉ पर श्री मनीष कुमार तिवारी पुत्र श्री चंद्र प्रकाश तिवारी(विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 16.08.2022 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ मे खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा था और उसे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन क्रमांक / एच / एफएसएसए / नोटिफिकेशन / 2011 / 727 दिनांक 29.11.2011 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया है। श्रीमान् आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश क्रमांक 172 दिनांक 01.02.2012 एवं 437 दिनांक 09.01.2012 के अनुसार उनको कार्य क्षेत्र जिला बारॉ आवंटित किया गया है और जिला बारॉ के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्य क्षेत्र मे आते है।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण किया जहॉ पर खाद्य पदार्थ **खोपरागिरी (मावा खोपरागिरी व शक्कर से निर्मित)** एक स्टील की ट्रै में लगभग 04 किग्रा. आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर खाद्य पदार्थ **खोपरागिरी (मावा खोपरागिरी व शक्कर से निर्मित)** में [illegible] का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने [illegible] फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति मे तैयार कर विक्रेता को देकर [illegible] के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:31:01 IST
Reason: SelfAttested

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां द्वारा खाद्य पदार्थ **खोपरागिरी (मावा खोपरागिरी व शक्कर से निर्मित)** 02 किग्रा एक साफ–सूखी स्टील की ट्रै में वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत श्री मनीष कुमार तिवारी पुत्र श्री चंद्र प्रकाश तिवारी (विक्रेता एवं मालिक) को 400 / – रूपये (अक्षरे चार सौ रूपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वंय आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा खाद्य पदार्थ **खोपरागिरी (मावा खोपरागिरी व शक्कर से निर्मित)** को स्टील की ट्रै में एकरूप कर चार प्लास्टिक की साफ–सूखी एवं खाली शीशीयों में बराबर–बराबर भरकर प्रत्येक में फार्मलीन की 40–40 बूंद डालकर एयरटाईट बंद किया एवं प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.–1544 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग–अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.–1544 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्तें में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री मनीष कुमार तिवारी पुत्र श्री चंद्र प्रकाश तिवारी(विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर मे सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे मे स्वंय द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की। जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारॉ के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2022/253 दिनांक 08.09.2022 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1217/PHL/Kota/Act/2022/1219 दिनांक 30.08.2022 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **खोपरागिरी (मावा खोपरागिरी व शक्कर से निर्मित) अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 31.10.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थी को जर्ये रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा जवाब प्रस्तुत न कर अंतिम बहस सुनी जाने हेतु निवेदन करने पर प्रकरण में अप्रार्थी का जवाब बन्द किया जाकर, उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जिस खाद्य पदार्थ **खोपरागिरी (मावा खोपरागिरी व शक्कर से निर्मित)** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जॉच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 व विनियम, 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया है। अप्रार्थी का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं विनियम, 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थी को भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:31:01 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस कथन किया गया कि अप्रार्थी द्वारा बाजार से मावा एवं शक्कर क्रय की जाकर खाद्य पदार्थ खोपरागिरी बनायी जाती है जिसमें अप्रार्थी द्वारा कोई मिलावट नहीं की गई है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही खारिज फरमाई जावें।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारॉ द्वारा कहा गया कि अप्रार्थी यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1217/PHL/Kota/Act/2022/1219 दिनांक 30.08.2022 से असन्तुष्ट था तो अप्रार्थी को जर्ये पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जॉच करवाये, किन्तु अप्रार्थी द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जॉच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी से वास्ते नमूना जॉच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ **खोपरागिरी (मावा खोपरागिरी व शक्कर से निर्मित)** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 1217/PHL/Kota/Act/2022/1219 दिनांक 30.08.2022 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zx) के तहत **अवमानक(Substandard)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(।।) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 51 के तहत अप्रार्थी को कुल जुर्माना राशि 4,000/– रूपये (अक्षरे चार हजार रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई–मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक मे **निर्धारित मद 0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय मे अन्दर एक माह प्रस्तुत करे। अप्रार्थी को इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि जरिये रजिस्टर्ड डाक सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **04.09.2023** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण आमेटा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति0 जिला मजिस्ट्रेट,
बारॉ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan Ameta
Date: 2023.12.04 17:31:01 IST
Reason: SelfAttested